न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या :- 168 / 2023 दायर दिनांक :- 21.06.23

जीसीएमएस नं. 2023 / 168

1 सुपेती पत्नि नेपालसिंह उम्र 52 साल
2 सावित्रीदेवी पत्नि मोहरसिंह उम्र 49 साल
} जाति जाट निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली

---------सायलान–02

बनाम

1. साहबसिंह उम्र 55 साल
2. प्रतापसिंह उम्र 50 साल
3. दीवानसिंह उम्र 47 साल
4. बहादुरसिंह उम्र 44 साल

} पिसरान सरदार समस्त जाति गुर्जर निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली

---गैरसायलान–02

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:– 1. श्री पी एल गोयल अधिवक्ता सायलान
2. श्री लखनलाल अधिवक्ता गैरसायलान 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :– 5-11-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा न0 3442 / 6113 रकबा 12 ऐयर स्थित ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली है।

आराजी मुतजिक्रा मद न0 02 प्रार्थना पत्र सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। जिसमें सायलान हिस्सा 1/2–1/2 के खातेदार काश्तकार है और उक्त भूमि पर सयुक्त रूप से काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग अपने परिवारजनों के सहयोग से करती चली आ रही है, जिसमें गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

गैरसायलान की सायलान की उक्त आराजीयात के पास ही भूमि है, इस कारण उसकी नियत हमेशा [illegible] की रही है और इसलिये वह आए दिन सायलान को हैरान [illegible] करते रहते है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस [illegible] है।

वाका दिनांक 01.06.2023 [illegible] का है कि सायलान [illegible] उपरोक्त आराजी मुतजिक्रा मद न0 02 प्रार्थना [illegible] आगामी फसल की बुव[illegible] सुल–बबूल कर भूमि की देखभाल कर रहे थे कि गैरसायलान मौके पर आये और कहा कि हमारी जमीन तुम्हारी भूमि में मिली हुई है, हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested

करेगे तो सायलान ने कहा कि उक्त जमीन तो हमारी खातेदारी की है, जिसमें तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम हमे क्यों परेशान कर रहे हो तो इस पर गैरसायलान नाराज हो गये और कहा कि आइंदा यहां पर पैर मत रखना इस जमीन पर हम कब्जा करके रहेगें अगर गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे किवे खसरा न0 3442/6113 रकबा 12 ऐयर स्थित ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली में सायलान के कब्जे व उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य से करावे तथा सायलान को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर लट्ठ के बल पर कब्जा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे तथा सायलान को उक्त आराजी मे शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के उपरोक्त आराजी में उनके हक हकूकों व उपयोग उपभोग में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 04 की ओर से दिनांक 11.12.23 को श्री लखनलाल गोयल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं 02.05.2024 को जबाव पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 गलत है, अस्वीकार है। सायलान को कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 गलत है, स्वीकार नहीं है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 गलत है, स्वीकार नहीं है।
6. सही बात यह है कि सायलान की आराजी खसरा न0 3442/6113 रकबा 12 ऐयर में गैरसायलान की जमीन खसरा न0 3442 का 3 ऐयर रकबा दबा हुआ है। सायालन से पहली गर्मी में कब्जा छो[illegible] गैरसायलान ने कहा व नाप तोल करवाने की कही तो सायलान नाराज हो [illegible] झगड़ा करने पर उतारू हो गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested

7 उपरोक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में सायलान, गैरसायलान को जबरन पाबन्द करवाना चाहता है जबकि गैरसायलान आज भी अपनी जमीन की नाप तौल कराने को तैयार है और सायलान तैयार नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायालान मय खर्चा खारिज करने के आदेश करने का निवेदन किया है। जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 175 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं गैरसायलान वकील द्वारा अपने बहस कथन में प्रकरण में प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए, सायलान के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 175 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ में भूमि सायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। विवादित आराजी का मैंढ का विवाद है प्रकरण पैमाईश से संबंधित है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान ... पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य ...

अतः सायलान का ... निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 3442/6113 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 21.06.23 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested

जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/11/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested